

उत्तर प्रदेश विधान परिषद के तृतीय सत्र, 2024 के प्रथम सोमवार हेतु निर्धारित श्री आशुतोष सिन्हा, मा० सदस्य, विधान परिषद द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या-17 का उत्तर।

प्रश्न	उत्तर
17-(क) क्या नगर विकास मंत्री बतायेंगे कि वाराणसी वेस्ट सोल्यूशंस व वाराणसी नगर निगम के बीच वाराणसी में डोर टू डोर कूड़ा उठान मैकेनाइज्ड स्वीपिंग इत्यादि के लिये किये गये अनुबंध का वाराणसी वेस्ट सोल्यूशंस द्वारा कई बिंदुओं पर उल्लंघन किया गया है ?	वाराणसी वेस्ट सोल्यूशन व वाराणसी नगर निगम के बीच निष्पादित अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार नगर निगम, वाराणसी में सफाई कार्य कराया जा रहा है। उक्त अनुबन्ध में निर्धारित शर्तों के अनुसार सफाई के मूल्यांकन हेतु 14 मुख्य प्रदर्शन संकेतक (के०पी०आई०) निर्धारित किये गये हैं। उक्त निर्धारित मुख्य प्रदर्शन संकेतकों का मूल्यांकन नगर निगम की समिति द्वारा प्रत्येक माह किया जाता है। उक्त समिति की प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर निर्धारित सफाई कार्यों के सापेक्ष उल्लंघन करने पर कार्यवाही का प्राविधान है।
(ख) यदि हाँ, तो अभी तक इस संबंध में वाराणसी वेस्ट सोल्यूशंस पर क्या दण्डात्मक कार्यवाही की गयी है ?	नगर निगम, वाराणसी समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में कतिपय संकेतकों पर कार्यों का उचित निस्तारण न किए जाने के कारण भुगतान रोकने की कार्यवाही की जा रही है।
(ग) क्या उक्त का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ?	उपरोक्तानुसार
(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?	प्रश्न नहीं उठता।

ए.के. शर्मा
मंत्री
नगर विकास विभाग।